आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) रैयती मान्यता वाद सं0–01/2021 संगीता बगेड़िया –बनाम– राज्य	ओदश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

04.08.2021 अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 900/रा0न्या0, दिनांक 12.04.2021 द्वारा रैयती मान्यता से संबंधित निम्न न्यायालय अभिलेख(रैयती मान्यता वाद) सं0–07/2016–17 मूल रूप में अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बोडो	91	01	856	1.60 ए0

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :–"उपरोक्त वर्णित ब्यौरे की भूमि गिरिडीह–कोडरमा नई रेलवे लाईन परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई है। वादगत भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास परती कदीम दर्ज होने के कारण प्रकाशित अधिसूचना में उक्त प्लॉट के मुआवजा भुगतान से संबंधित कोई जिक्र नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादगत भूमि का हस्तांतरण जमींदारी उन्मूलन की तिथि 01.01.1946 से पूर्व निबंधित दस्तावेज सं0 1864, दिनांक 13.12.1938 के द्वारा की गई है एवं उक्त भूमि प्रथम पक्ष को वजरिये निबंधित केवाला सं0 11163, दिनांक 18.10.2005 के माध्यम से हासिल है। अंचल अधिकारी, गिरिडीह के नामान्तरण वाद सं0 423/2006–07 में प्रथम पक्ष के नाम दाखिल–खारीज की स्वीकृति प्रदान कर पंजी II के पृष्ठ सं0 80 भोलूम सं0 04 पर जमाबंदी कायम होकर वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदिका संगीता बगेडिया द्वारा कोडरमा–गिरिडीह नई रेलवे लाईन निर्माण परियोजना अन्तर्गत वादगत भूमि के मुआवजा भुगतान के निमित्त दायर आवेदन के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 1274/भू0अ0, दिनांक 31.08.2016 द्वारा वादगत भूमि के संबंध में जाँचोपरान्त रैयती मान्यता के प्रस्ताव की माँग उचित माध्यम से की गई है।"

आवेदिका द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

1. यह कि, यद्यपि सर्वे खतियान वादगत भूमि गैरमजरूआ खास दर्ज है, परन्तु वर्ष 1930 में ही रैयती बंदोबस्त हो जाने के कारण उक्त भूमि गैरमजरूआ खास न रहकर रैयती भूमि हो गई।
2. यह कि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 10/डीएलए विविध(नीति) 19/08–334/रा0, दिनांक 14.05.2009 के तहत् स्पष्ट है कि "केंद्र सरकार की लोक उपक्रमों की अन्य परियोजना के लिए भी अधिग्रहित गैरमजरूआ खास/सरकारी भूमि पर जिला प्रशासन द्वारा की गई विशेष स्थानीय नीति में अधियाचना तिथि से 30 वर्षों से अधिक अवधि से दखलकार पाये गए, जोत–आबाद कर रहे व्यक्तियों, जिनके नाम से

पंजी II में 30 वर्षों से अधिक अवधि से जमाबंदी चल रही है, उन्हें कायमी रैयतों के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि का समतुल्य लाभ परियोजना के खर्च पर दिया जाय।'' उक्त वादगत भूमि पर विभिन्न दखलकारों(पूर्ववर्त्ती तथा वर्त्तमान) का दखल कब्जा 80 वर्षों से अधिक से चला आ रहा है एवं पंजी II में लगभग 47 वर्षों से जमाबंदी कायम है।

3. यह कि, लगभग 50 वर्षों से वादगत भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां चलती आ रही है। वर्त्तमान में उक्त भू–भाग पर जी.डी. बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज(बगड़िया जन कल्याण ट्रस्ट) चल रहा है, जो कि आवेदिका संगिता बगेडिया द्वारा निबंधित केवाला सं0 199, दिनांक 07.01.2010 के माध्यम से विक्रय किया गया है।
4. यह कि, उक्त वादगत भूमि पर गिरिडीह–कोडरमा रेलवे लाईन परियोजना के गुजरने के कारण आवेदिका की 1.60 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है। अतः रैयतों के समतुल्य मुआवजे की भुगतान करने हेतु आवेदिका द्वारा अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.01.2021 में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–

वादगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म भूमि परती कदीम है, जो आवेदिका को निबंधित केवाला सं0 11163 दिनांक 18.10.2005 द्वारा हासिल है व नामांतरण वाद सं0 423/20063–07 के द्वारा स्वीकृति के पश्चात् पंजी II के पृष्ठ सं0 80 भोलूम 04 पर जमाबंदी कायम होकर वर्ष 2006–07 से वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है। उक्त भूमि सर्वप्रथम खेवटदार बाबू हरिहरनाथ सिंह से हुकुमनामा द्वारा दिनांक 13.12.1930 को फुचन मियां वल्द पारो मियां को बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ। उक्त हुकुमनामा के आधार पर निबंधित कबूलियतनामा दस्तावेज सं0 1864 दिनांक 13.12.1938 द्वारा तत्कालीन जमींदार बाबू करतार सिंह एवं बाबू प्रताप सिंह पेशरान बाबू राम सिंह गादी करहरबारी इस्टेट से हुकुमनामाधारी रैयत को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् निबंधित केवाला सं0 9443 दिनांक 29.06.1964 द्वारा मूल रैयत फुचन मियां के पुत्र से श्री सुधीर कुमार बनर्जी वल्द आशुतोष मुखर्जी को प्राप्त हुआ, जिसकी जमाबंदी जमींदारी उन्मूलन के बाद पंजी II में कायम कर लगान रसीद निर्गत की गई। बाद में सुधीर कुमार मुखर्जी के पोते बेनी माघ्व मुखर्जी पिता आशुतोष मुखर्जी के द्वारा निबंधित केवाला सं0 12081 दिनांक 19.11.1987 द्वारा सोमनाथ डे पिता श्री प्रतीप डे को बिक्री की गई। बिक्री पश्चात् नामांतरण वाद सं0 750/1987–88, 124/1987–88 के द्वारा जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत की गई, जो आवेदिका को केवाला सं0 11163 दिनांक 18.10.2005 द्वारा जमाबंदी रैयत सोमनाथ डे से हासिल होकर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत लगान रसीदों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि आवेदित भूमि का जमींदारी उन्मूलन के बाद वर्ष 1973–74 से वर्ष 2016–17 तक सरकारी लगान रसीद लगातार निर्गत हो आ रहा है। वर्त्तमान में उक्त भूमि को रेलवे द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि का हस्तांतरण मध्यवर्ती के समय दिनांक 01.01.1946 के पूर्व वैद्य तरीके से की गई एवं एक

लम्बी अवधि वर्ष 1973–74 अर्थात् लगभग 43 वर्षों से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत किया गया। जमींदारी उन्मूलन की तिथि 01.01.1946 के पूर्व निबंधित दस्तावेज सं0 1864 दिनांक 13.12.1938 द्वारा वादगत भूमि प्रथम बार हस्तांतरित की गई है। अतः उक्त के आलोक में वादगत भूमि मौजा बोडो, थाना सं0 91, खाता सं0 01 प्लॉट सं0 856, रकवा 2.40 एकड़ के मध्ये 1.60 एकड़ भूमि का रैयती मान्यता देने हेतु अनुशंसा की गई है।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 75/भू0स0 दिनांक 25.02.2021 एवं **अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह** द्वारा दिनांक 24.03.2021 को पारित आदेश के तहत् वादगत भूमि का आवेदिका के पक्ष में रैयती मान्यता देने हेतु अनुशंसा की गई है।

–: विचारण व निर्णय :–

प्रथम पक्ष एवं विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

1. यह कि, सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 334/रा0 दिनांक 14.05.2009 के कंडिका 2(II) के तहत् अधियाचना तिथि से 30 वर्षों से अधिक अवधि से दखलकार पाये गए, जोत–आबाद कर रहे व्यक्तियों, जिनके नाम से पंजी II में 30 वर्षों से अधिक अवधि से जमाबंदी चल रही है, उन्हें कायमी रैयतों के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि का समतुल्य लाभ परियोजना के खर्च पर दिया जाने का निदेश प्राप्त है।
2. यह कि, अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश के तहत् वादगत भूमि का हस्तांतरण मध्यवर्ती के समय दिनांक 01.01.1946 के पूर्व वैद्य तरीके से की गई है एवं एक लम्बी अवधि वर्ष 1973–74 से अर्थात् लगभग 43 वर्षों से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत किया गया है। जमींदारी उन्मूलन की तिथि 01.01.1946 के पूर्व निबंधित दस्तावेज सं0 1864 दिनांक 13.12.1938 द्वारा वादगत भूमि प्रथम बार हस्तांतरित की गई है तथा आवेदिका को उक्त भूमि वजरिये निबंधित केवाला सं0 11163, दिनांक 18.10.2005 के माध्यम से प्राप्त है, जिसका अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा नामान्तरण वाद सं0 423/2006–07 में आवेदिका के नाम दाखिल–खारीज की स्वीकृति प्रदान की गई एवं पंजी II के पृष्ठ सं0 80 भोलूम सं0 04 पर जमाबंदी कायम होकर वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है।
3. यह कि, अंचल अधिकारी गिरिडीह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह एवं अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश नियमसंगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर प्रतिवेदित प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदिका संगीता बगेडिया द्वारा दायर अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा वादगत भूमि मौजा बोडो, थाना सं0 91, खाता सं0 01, प्लॉट सं0 856, रकवा 1.60 एकड़ भूमि के रैयती मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि गिरिडीह–कोडरमा नई रेलवे लाईन परियोजना हेतु अधिग्रहित आवेदिका की उक्त भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

संबंधित पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

(15)

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर प्रतिवेदित प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुशंसा से सहमत होंते हुए आवेदिका संगीता बगेडिया द्वारा दायर अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा वादगत भूमि मौज़ा बोडो, थाना सं0 91, खाता सं0 01, प्लॉट सं0 856, रकवा 1.60 एकड़ भूमि के रैयती मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि गिरिडीह—कोडरमा नई रेलवे लाईन परियोजना हेतु अधिग्रहित आवेदिका की उक्त भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

संबंधित पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 201 /न्या0, दिनांक 05 /08/2021

प्रतिलिपि :— जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

O/C

05/08/2021

प्रभारी दण्डाधिकारी
उपायुक्त का न्यायालय,
गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.09.29 20:32:52 +05:30
Location: 192.168.5.138